UPFD010067702026

न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (गिरोहबन्द अधिनियम)/

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या– 8, फिरोजाबाद

मुकेश राजपूत उर्फ भूरा पुत्र राजवीर सिंह, निवासी– गांव बजीरपुर कोटला, थाना नारखी, जिला फिरोजाबाद। **.....प्रार्थी/अभियुक्त।**

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार। **.....आपत्तिकर्ता।**

अ०सं०– 317/2026

अं० धारा– 2/3 गैंगस्टर एक्ट

थाना– नारखी,

जनपद– फ़िरोज़ाबाद।

निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र

प्रश्नगत प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र, प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–317/2026, अन्तर्गत धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना– नारखी, जिला फिरोजाबाद के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर बल प्रस्तुत करते हुए, मुख्यतः इस आशय का कथन किया गया है कि उसे उपरोक्त केस में झूंठा गलत एवं असत्. तथ्यों के आधार पर फंसाया गया है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसे थाना पुलिस द्वारा अपना गुडवर्क दिखाने के लिए झूंठा फंसाया गया है। उसका माननीय न्यायालय में पूर्व में अग्रिम जमानत पत्र दिनांक 16–07–2026 को निरस्त हो चुका है। उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है इसके अलावा अन्य किसी न्यायालय में एवं उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। पुलिस द्वारा उसे गैंगस्टर चार्ट में सदस्य बताया गया है। गैंगचार्ट में मुकदमा अपराध सं०–228/25 धारा–310(2),317(3) बी०एन०एस० थाना टूण्डला एवं मु०अ०सं०–52/25 धारा–309(6) बी०एन०एस०, थाना–सकरौली, एटा में पंजीकृत हैं। उक्त दोनों मामलों में अभियुक्त की जमानत हो चुकी है। वह दिनांक 31–07–2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। इन मामलों के अतिरिक्त अभियुक्त पर अन्य कोई मामला नहीं है। अन्य कथनों के साथ, प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा इस आशय का कथन किया गया कि अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है, जो अपने साथियों के साथ मिलकर भौतिक एवं आर्थिक लाभ के लिए समाज विरोधी क्रिया कलाप करता है। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह अपनी गैंग के साथ मिलकर पुनः अपराध कारित करेगा। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,1986 की धारा

Digitally signed by RAMESH CHAND
Date: 2026.08.05 15:34:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

19(4) के प्रावधानों के अन्तर्गत जमानत का विरोध किया गया।

उभयपक्षों को सुनने के पश्चात केस डायरी एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया। केस डायरी एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन में पाया गया, कि गैंगचार्ट के अनुसार, अभियुक्त के विरूद्ध– मुकदमा अपराध सं०–228/25 धारा–310(2),317(3) बी०एन०एस० थाना टूण्डला एवं मु०अ०सं०–52/25 धारा–309(6) बी०एन०एस०, थाना–सकरौली, एटा में पंजीकृत हैं। न्यायालय के पास इस सम्बन्ध में कोई समुचित आधार नहीं है, जिससे प्रतीत हो कि अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और अभियुक्त जमानत के दौरान किसी प्रकार का अपराध कारित नहीं करेगा।

उपरोक्त समग्र परिशीलन को दृष्टिगत रखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध गैंगचार्ट के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं पाया जाता है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **मुकेश राजपूत उर्फ भूरा** का जमानत प्रार्थना पत्र **निरस्त** किया जाता है।

दिनांक–05.08.2026

(रमेश चन्द॥)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या– 8/
विशेष न्यायाधीश (गिरोहबन्द अधिनियम), फिरोजाबाद।